ग्राम पंचायत दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत, दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री धर्म चन्द	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति रीता देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जीत कुमार	2008 से 26-04-16
2.	श्री रणजीत सिंह	26-04-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम.सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.33
2 .	8	अनुदानों का अवरोधन	16.54

3 .	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	1.11
4 .	10	क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करने बारे	4.81

भाम दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05-02-2018 से 07 -02-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय दनोआ में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01 /15, 02/16 व 06/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/15, 09/15 व 11/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:49 दिनांक 07-02-18 द्वारा सचिव, पंचायत दनोआ से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत दनोआ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{i} स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत दनोआ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	97051	74230	171281	28004	143277
2015-16	143277	39479	182756	32352	150404
2016-17	150404	125099	275503	62793	212710

{ii} अनुदान :-ग्राम पंचायत दनोआ के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	234960	2729142	2964102	2459881	504221
2015-16	504221	3423332	3927553	2923519	1004034
2016-17	1004034	4838468	5842502	4188801	1653701

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB Danoa	20057009043	678233
2.	KCCB Danoa	50052622791	3424
3.	KCCB Danoa	50065707397	1176352
4.	HGB Baroh	87870100066748	1071
5.	HGB Baroh	87870100066757	6959
		CASH IN HAND	372
		TOTAL	**₹1866411**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):-_ :-	₹ 1866741
(ख)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :-	₹ 1866741

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत दनोआ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार जिसका एक भाग आय तथा दूसरा भाग व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 ,2015-16 के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित नहीं करवाया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत: उक्त अवधि के बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को ग्राम सभा से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.33 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹33500 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	4025	11250	**15275**	450	**14825**
2015-16	14825	11375	**26200**	4325	**21875**
2016-17	21875	11625	**33500**	0	**33500**

8 अनुदान ₹16.54 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1653701** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय

हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.11 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹110986** लाख के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹4.81 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹480992** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है , जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः क्रय की गई सामग्री का नियमानुसार भण्डार/स्टोर रजिस्टरों में इन्द्राज किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

11 **मनरेगा निधि की रोकड़ बही का रख रखाव न करना :-** अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 की मनरेगा निधि की रोकड़ बही लिखित रूप में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं तैयार की गई जो कि सचिव ग्रामीण विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं : एस.एम.एम.-5/2016-17-आर.डी.डी.(फण्ड)334 दिनांक 30-08-16 के आदेशों की स्पष्ट अवेहलना है अत: उक्त अवधि की रोकड़ बही को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

12 **विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

13 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

15 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

16 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)193/2018 खण्ड–1–3932–3935 दिनांक 30.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत दनोआ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881